

Order No:-423L/2021-22



केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु०)  
18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016  
**KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)**  
**18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.**  
Tel.: 011-2695168, 8860748880  
Email- mpquota@kvs.gov.in  
Website: www.kvsangathan.nic.in

File No: 11-PUB0GEN/3/2021-Publication/Spl.Disp./MP

दिनांक-09.07.2021

सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश

माननीय सांसद **Ms. Chandrani Murmu** के द्वारा के०वि०सं कूपन संख्या. **300** के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र 2021-22 में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-

S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	NUSHAN SEKHAR SOREN	HARMOHAN SOREN MOB - 8763569263	6	KEONJHAR
2	GAYATREE MAHANTA	GOPABANDHU MAHANTA MOB - 9437777919	7	KEONJHAR
3	P. SHRIYANSI	SATYABRATA PANDA MOB - 9437027217	2	KEONJHAR
4	OM PRAKASH SAHOO	TAPENDRA SAHOO MOB - 7008559765	4	KEONJHAR
5	SARA SINGH	LOKANATH SINGH MOB - 9437169281	5	ANANDAPUR
6	AQSHA PARWEEN	M.D SIRAJUDDIN MOB - 7846807107	3	KEONJHAR
7	PREM RANJAN SWANI	BISWA RANJAN SWAIN MOB - 9437652211	4	KEONJHAR
8	ARRYA AVIKA JENA	BIPLAB BIDHU DUTTA JENA MOB - 9776767687	1	KEONJHAR
9	SAI SALONI SAHOO	MANMATH KUMAR SAHOO MOB - 9337592044	1	KEONJHAR
10	AYUSHA PRIYADARSINI MISHRA	SAMAR KESHARI MISHRA MOB - 9437086273	8	KEONJHAR

कृ० पू० उ०


निर्देश:-

(i) विद्यार्थी, अन्यथा के० वि० सं० की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2021-22 के अनुसार पात्र होना चाहिए ।

(ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी।

(iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।

(iv) प्रवेश की अंतिम तिथि 31.08.2021 है।



(पिया ठाकुर)  
संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

प्रतिलिपि:

1. Ms. Chandrani Murmu माननीय संसद सदस्य को ई० मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, केविसं, BHUBANESWAR संभाग को सूचनार्थ। (ई० मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाई हेतु। (ई० मेल)